

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ6()/कम्प्यूटर/पोस पार्ट-1/2018-19

दिनांक 05.11.2020


जिला कलक्टर (समस्त)/
जिला रसद अधिकारी (समस्त)
राजस्थान।

विषय :- 'वन नेशन वन राशन कार्ड' कार्यक्रम माह नवम्बर, 2020 में सम्पादित करने के संबंध में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक एफ6()/खाद्य/कम्प्यूटर/पोस पार्ट-1/2018-19 दिनांक 11.09.2020 एवं 28.09.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि उचित मूल्य दुकानों के साथ बीएलओ की मैपिंग करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इस संबंध में आवश्यक सॉफ्टवेयर भी DoIT के द्वारा तैयार किया जा चुका है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों के आधार नम्बर राशन कार्ड के साथ सीडिंग कर सत्यापन कार्य इस मोबाइल एप के जरिये कराने का कार्यक्रम अभियान रूप में सम्पादित करावें। इस पत्र के साथ इस संबंध में सॉफ्टवेयर संबंधी जानकारी ईमेल पर PDF Format में भेजी जा रही है।

इस कार्य हेतु बीएलओ को रु. 10/- प्रति राशन कार्ड देय होगा तथा प्रतिदिन की प्रगति की मॉनिटरिंग कराना अनिवार्य होगा, इस संबंध में किसी भी प्रकार का संशय होने पर अतिरिक्त निदेशक, DoIT श्री आर.सी.शर्मा मोबाइल नं. 9982186929 अथवा श्री अशोक कुमार सांखला, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य विभाग मोबाइल नं. 9414046660 से संपर्क करने का कष्ट करें।


(नवीन जैन)
शासन सचिव